



Nº 009966

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

वर्ष 2012 - 2013

संख्या 41

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि

“स्री एफ़ो एसोसिएटी”
(Candy Floss School Society)

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख 21/12 मास दशाह वर्ष दो हजार बीस को राँची में मेरे हस्ताक्षर के

साथ दिया



गोबिन्द मेहता प्रेस, राँची

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, राँची ।

Candy Floss School Society

Trabhookr

Secretary

Candy Floss School

Shweta

Principal